

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 155वीं बैठक दिनांक
06 नवम्बर, 2015 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

- | | | |
|-----|----------------------------------|--|
| 01. | श्री महेश कुमार गुप्ता | अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ। |
| 02. | श्री सत्येन्द्र सिंह | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 03. | श्री राजशेखर | जिलाधिकारी, लखनऊ। |
| 04. | श्री उदय राज सिंह | नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ। |
| 05. | श्री शिवजनम चौधरी | संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन |
| 06. | श्री अजय कुमार मिश्र | मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश। |
| 07. | श्री गोपाल गर्ग | वास्तुविद नियोजक, प्रतिनिधि आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद। |
| 08. | श्री नरेन्द्र कुमार चौबे | अपर निदेशक, प्रतिनिधि-निदेशक, कोषागार, लखनऊ मण्डल। |
| 09. | श्री विजय सिंह यादव | सदस्य, ल०वि०प्रा० |
| 10. | श्रीमती मुन्नी पाल | सदस्य, ल०वि०प्रा० |
| 11. | श्री सुरेन्द्र सिंह 'राजू गांधी' | मा० पार्षद/सदस्य, ल०वि०प्रा० |
| 12. | श्री फैसल नवाब | मा० पार्षद/सदस्य, ल०वि०प्रा० |
| 13. | श्री सौरभ सिंह 'मोनू' | मा० पार्षद/सदस्य, ल०वि०प्रा० |
| 14. | श्री रमेश कपूर 'बाबा' | मा० पार्षद/सदस्य, ल०वि०प्रा० |

अन्य उपस्थिति :

- | | | |
|-----|-------------------------|------------------------------|
| 15. | श्री श्रीश चन्द्र वर्मा | सचिव, ल०वि०प्रा०। |
| 16. | श्रीमती सीमा सिंह | अपर सचिव, ल०वि०प्रा०। |
| 17. | श्री जे०पी० सिंह | संयुक्त सचिव, ल०वि०प्रा० |
| 18. | श्री एन०एन० सिंह | संयुक्त सचिव, ल०वि०प्रा० |
| 19. | श्री ओ०पी० मिश्र | मुख्य अभियन्ता, ल०वि०प्रा०। |
| 20. | श्री जे०एन० रेड्डी | मुख्य नगर नियोजक, ल०वि०प्रा० |
| 21. | श्री हरि कृष्ण यादव | मुख्य लेखाधिकारी, ल०वि०प्रा० |







उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ तथा उपस्थित सदस्यों के स्वागत एवं औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

विषय संख्या : 1

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.05.2015 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय :

प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

विषय संख्या : 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.05.2015 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय :

प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर कृत कार्यवाही की प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विशिष्ट निर्देश दिये गये:-

1. देवपुर पारा आवासीय योजना की प्रगति आख्या के अवलोकनोपरान्त समयबद्ध रूप से कार्यवाही पूर्ण कराये जाने एवं बार-चार्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसकी समीक्षा आगामी बैठक में की जायेगी।
2. बिन्दु संख्या-8 लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई थी तथा जिन पट्टों की अवधि समाप्त हो चुकी है, उनके विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे? परन्तु अनुपालन आख्या में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उन पट्टों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? आगामी बैठक में निर्देशानुसार कार्यवाही से अवगत करायें।

विषय संख्या : 3

गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर-7 के अन्तर्गत शहीद पथ पर विकसित किये जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम से संलग्न भूमि पर प्रस्तावित बहुउद्देशीय विशेष संकुल तथा भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर योजना के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई। जहाँ तक भू-उपयोग परिवर्तन का प्रश्न है, इस बारे में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाय।







विषय संख्या : 4

प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमती नगर के विनीत खण्ड-6 के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-सी0पी0-6 को आवासीय (ग्रुप-हाउसिंग) भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त यह मत स्थिर किया गया कि पार्किंग तथा अन्य सामुदायिक सुविधायें कैसे सुलभ होंगी इसका परीक्षण करके प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 5

मानसरोवर योजना सेक्टर-ओ के अन्तर्गत व्यावसायिक भूखण्ड संख्या- सी-1, सी-3 एवं सी-4 का भू-उपयोग समूह आवास हेतु परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया और यह निर्देश दिये गये कि अवस्थापना सुविधाओं की पर्याप्तता का परीक्षण कर लिया जाये। जहां तक प्रस्ताव में कास्टिंग का प्रश्न है इस बारे में प्राधिकरण स्तर पर परीक्षण करने के लिए कहा गया क्योंकि यह बोर्ड स्तर का कार्य नहीं है।

विषय संख्या : 6

प्रियदर्शिनी योजना, सीतापुर रोड में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण हेतु मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (लेसा) को 1200 वर्ग मी0 क्षेत्रफल का भूखण्ड निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रियदर्शिनी योजना, सीतापुर रोड में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण हेतु मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (लेसा) को 30X40 वर्गमी0 = 1200 वर्ग मी0 क्षेत्रफल का भूखण्ड इस शर्त के साथ निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया कि सब-स्टेशन बनाने का व्यय लखनऊ विकास प्राधिकरण वहन नहीं करेगा, अपितु मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 (लेसा) द्वारा किया जायेगा।

विषय संख्या : 7

उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली-2014 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि केवल ऐसे प्रकरण नियमानुसार शासन को निर्णय हेतु सन्दर्भित किये जायें जिनमें भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के

अनुरूप किया गया हो तथा भवन निर्माण के समय समस्त प्रकार की भवन उपविधियों, नियमों, शासनादेशों इत्यादि का पालन किया गया हो।

ऐसे मामले जिनमें निर्मित भवन को कभी सील किया गया हो या वर्तमान में सील पड़े हों या जिन्हें सशर्त शमनित किया गया हो कि वह अनाधिकृत निर्माण को स्वतः गिरा लेगें किन्तु उनके द्वारा ऐसे अनाधिकृत निर्माण को नहीं हटाया गया है, उन्हें शासन को नहीं सन्दर्भित किया जायेगा।

किसी प्रकरण को शासन को सन्दर्भित करने से पूर्व उसका उपरोक्त आलोक में शत-प्रतिशत परीक्षण कर लिया जाये।

विषय संख्या : 8

सरस्वती स्मारक सेवा समिति को विपुल खण्ड-6 के संस्थागत भूखण्ड को आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 9

भूखण्ड संख्या-बी-940, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ के आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के समादर में भूखण्ड संख्या-बी-940, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ का भू-उपयोग "आवासीय" से "व्यावसायिक" में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 10

संस्कार फाउंडेशन द्वारा संचालित आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट कालेज, ग्राम-औरंगाबाद खालसा, बिजनौर के "पार्क/खुले स्थल, हरित-पट्टी एवं आवासीय" भू-उपयोग से "शैक्षणिक" भू-उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त संस्कार फाउंडेशन द्वारा संचालित आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट कालेज की भूमि के "पार्क/खुले स्थल, हरित-पट्टी एवं आवासीय" भू-उपयोग से "शैक्षणिक" भू-उपयोग में परिवर्तन विषयक प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 11

मे० शालीमार के के०एस०एन०बी० प्रोजेक्ट्स के संशोधित तलपट मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त मे० शालीमार के के०एस०एन०बी० प्रोजेक्ट्स के संशोधित तलपट मानचित्र के अनुमोदन विषयक प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 12 खसरा संख्या-263,272,274 एवं 275स, ग्राम-अहमामऊ का भू-उपयोग 'यातायात एवं ग्रीन' से 'आवासीय' भू-उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त खसरा संख्या-263,272,274 एवं 275स, ग्राम-अहमामऊ, लखनऊ के 0.4963 हे० क्षेत्रफल की भूमि में से शहीद पथ तथा 18 मी० चौड़े मार्गों से प्रभावित 2800 वर्गमी० भूमि को छोड़कर अवशेष क्षेत्रफल की भूमि को भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राप्त करते हुए 'यातायात एवं ग्रीन' भू-उपयोग से 'आवासीय' भू-उपयोग में याची द्वारा रिट याचिका वापस लिये जाने की शर्त पर प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 13 कानपुर रोड योजना के सेक्टर-सी में दैनिक जागरण को आवंटित कार्यालय एवं आवासीय भूमि को 'व्यावसायिक' भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त कानपुर रोड योजना के सेक्टर-सी में दैनिक जागरण के 8190 वर्गमी० के भूखण्ड पर भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आंकलित धनराशि ₹० 5,90,93,763/- जमा कराकर "व्यावसायिक" भू-उपयोग में परिवर्तित करने एवं सम्बन्धित का दायित्व निर्धारित कर वसूली विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 14 अर्जन से पूर्व प्राधिकरण के स्वत्व के बिना अनार्जित भूमि का विक्रय किन दशाओं में किया गया। इस सम्बन्ध में जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु व अर्जित भूमि खसरा संख्या-1924 स्थित ग्राम-उजरियांव में अवशेष क्षेत्रफल 0-10-0-0 बीघा का अनुमन्य प्रतिकर का निर्धारण समक्ष स्तर से कराने के उपरान्त अनुमति अथवा समतुल्य भूमि अधिग्रहण के

4

2

समय भू-उपयोग के अनुरूप दिये जाने के निर्णय के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड का अधिग्रहण के समय वर्ष 2010 में जो भी भू-उपयोग रहा हो, तत्समय की प्रचलित दर के अनुसार गणना करके शासनादेश के अनुसार अधिग्रहीत भूखण्ड के बदले 60 प्रतिशत विकसित समतुल्य मूल्य की भूमि, जो कि उसी भू-उपयोग की होगी जो कि अधिग्रहीत भूखण्ड का वर्ष 2010 में भू-उपयोग रहा हो, यथासम्भव निकटस्थ खण्ड में दिये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि सम्बन्धित द्वारा मा0 न्यायालय में योजित वाद वापस ले लिया जायेगा एवं अर्जन से पूर्व प्राधिकरण के स्वत्व के बिना अनार्जित भूमि का विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 15

रिट याचिका संख्या-2889(एम0बी0)/92 में दिनांक 15.12.2008 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2008 के अनुपालन में खसरा संख्या-298 ग्राम-औरंगाबाद खालसा के बड़े हुए रकबे 2-5-18-0 बीघा भूमि अथवा प्रतिकर की धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

यथाप्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 16

उजरियांव आवासीय योजना भाग-4 के अन्तर्गत ग्राम-उजरियांव की अर्जित भूमि खसरा संख्या-1599/4 रकबा 0.076 हे0 भूमि में से 50 प्रतिशत भूमि को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 17

श्री परदेशी सिंह, कनिष्ठ लिपिक की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। साथ ही रू0 5 लाख तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को अधिकृत किया गया एवं इससे ऊपर के प्रकरणों को बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 18

स्व0 विनय कुमार सिंह, कनिष्ठ लिपिक की चिकित्सा पर व्यय







धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 19

श्री आनन्द कुमार मिश्रा, विद्युतकार द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती पुष्पा मिश्रा के चिकित्सा पर किये गये व्यय धनराशि की औपचारिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 20

लखनऊ विकास प्राधिकरण के समूह-‘ग’ के अधिकारियों/कर्मचारियों को वाहन भत्ता रू0 800/- के स्थान पर रू0 1200/- प्रतिमाह दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव पुनर्परीक्षण हेतु स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 21

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता रू0 300/- के स्थान पर रू0 500/- प्रतिमाह किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : 22

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत अकेन्द्रीयित सेवा के समूह-‘ग’ एवं ‘घ’ के कर्मचारियों को मोबाइल भत्ता की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 23

लखनऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ के अनुरोध पर प्राधिकरण के समूह-घ के सभी कर्मचारियों को साईकिल भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त समूह-घ के सभी कर्मचारियों को प्रतिमाह 350 रुपये की दर से साईकिल भत्ता दिये जाने विषयक प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 24


लखनऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ के अनुरोध पर प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को न्यूज पेपर एलाउन्स के रूप में रू0 150/- प्रतिमाह दिये जाने के सम्बन्ध में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

निर्णय :

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।







विषय संख्या : 25

श्रीमती किरन यादव को आवंटित भूखण्ड संख्या-4/169 गोमती नगर विस्तार के निबन्धन के समय आवंटित क्षेत्रफल के कम दी गई भूमि के बदले 112.50 वर्गमी० का एक अन्य भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस त्रुटि हेतु सम्बन्धित का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 26

सहारा शहर विपुल खण्ड, गोमती नगर के ले-आउट तथा निर्माणों के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तारित चर्चा हुई। मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि इस भूमि का स्वामित्व नगर निगम का है। एक मा० सदस्य श्री सौरभ सिंह द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भूमि सेबी द्वारा अटैच है, जिसकी पुष्टि नगर निगम द्वारा की गई। इस अटैचमेन्ट से नगर निगम का स्वामित्व समाप्त नहीं होता है।

2. नगर निगम द्वारा वर्ष 1995 में तलपट मानचित्र स्वीकृत किया गया था। वर्ष 2005 में नगर निगम द्वारा संशोधित तलपट मानचित्र प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया था।


3. बोर्ड के संज्ञान में यह भी लाया गया कि इस प्रकरण को लेकर विभिन्न न्यायालय में बहुत से वाद लम्बित है।

4. उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए तथा एल्डिको ग्रीन के इसी प्रकार के मामले में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय के दृष्टिगत उसी प्रकार कार्यवाही करने के लिए बोर्ड सैद्धान्तिक रूप से इस प्रस्ताव से सहमत है। विभिन्न मा० न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन वादों में मा० न्यायालय के आदेशों का संज्ञान लेते हुए मास्टर प्लान, जोनल प्लान तथा भवन उपविधि के प्राविधानों के अनुसार सम्यक् परीक्षण कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

विषय संख्या : 27

श्री जनेश्वर मिश्र पार्क, गोमती नगर तथा डा० राम मनोहर लोहिया पार्क, गोमती नगर में एक-एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी (डिप्टी एस०पी० रैंक) को सुरक्षा सलाहकार के रूप में तैनात किए जाने के सम्बन्ध में।





निर्णय :

प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि सेवानिवृत्त कर्मी को पावनायेँ उसके द्वारा सेवानिवृत्ति के समय आहरित अन्तिम वेतन में से उसके द्वारा आहरित की जा रही पेंशन घटाकर देय होंगी।

विषय संख्या : 28

रजनीखण्ड, रायबरेली रोड, लखनऊ में निर्मित सुलभ आवास के एकजीक्यूशन प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त रजनीखण्ड के तलपट मानचित्र में स्कूल हेतु आरक्षित 8000 वर्गमी० भूमि में से 1848 वर्गमी० भूमि पर निर्मित आवासीय उपयोग के भवनों को यथा तलपट मानचित्र में संशोधन विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 29

शासनादेश सं०-1481/8-3-15-22एलए/15 दिनांक 11.08.15 के क्रम में मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में समाचार लोक अस्थान सह०आ०स०लि०, की सीतापुर रोड के पश्चिम की ओर टिम्बर नगर आवासीय योजना में अर्जित ग्राम-पुरनिया के भूमि खसरा संख्या-24/2, 81/2, 82, 83 कुल रकबा 3-12-14-17 के बदले 60 प्रतिशत विकसित भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश सं०-1481/8-3-15-22एलए/15 दिनांक 11.08.15 के क्रम में मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में समाचार लोक अस्थान सह०आ०स०लि०, की सीतापुर रोड के पश्चिम की ओर टिम्बर नगर आवासीय योजना में अर्जित ग्राम-पुरनिया की भूमि खसरा संख्या-24/2, 81/2, 82, 83 कुल रकबा 3-12-14-17 के बदले 60 प्रतिशत विकसित भूमि उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 30

ग्राम-जियामऊ में गोमती बैराज से लॉमाटिनियर तक सुनियोजित विकास हेतु भूमि रिक्लेम करने की योजना भाग-1ए में घोषित अभिनिर्णय दिनांक 01.07.2011 के अनुसार निर्धारित दर रू० 4,745.66 प्रतिवर्गमीटर की दर से अनार्जित भूमि खसरा संख्या-62/1, 254/1, 246/2, 248/1 व 229/1 स्थित ग्राम-जियामऊ, लखनऊ की भूमि को आपसी समझौते के आधार पर प्रतिकर भुगतान करते हुए क्रय करने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार किये गये भुगतान एवं किये जाने वाले भुगतान तथा

६

→

७

अनार्जित भूमि खसरा संख्या-246/1/1 स्थित ग्राम-जियामऊ, लखनऊ की भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी-3 की भूमि दर्ज है, जिसके सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 द्वारा पत्र दिनांक 18.02.2015 के माध्यम से गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अंकित किया गया है कि श्रेणी-3 दर्ज होने के कारण प्रतिकर की देय धनराशि 6 आना देय होगी, की भूमि को अन्य कोई विकल्प न होने की स्थिति में आपसी समझौते के आधार पर प्रतिकर भुगतान करते हुए क्रय करने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार किये गये भुगतान एवं किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 31

वाल्दा रोड कालोनी स्थित किराये पर आवंटित भवन संख्या-ए-2/5 तथा गौराज संख्या-1 के विक्रय हेतु देय धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 32

मानसरोवर योजना के सेक्टर-ओ-3 में लोकल शॉपस की पार्किंग हेतु आरक्षित भूमि पर किसानों के लिए चबूतरों हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त मानसरोवर योजना के सेक्टर-ओ-3 में लोकल शॉपस की पार्किंग हेतु आरक्षित भूमि पर किसानों के लिए चबूतरों के निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 33

लखनऊ विकास प्राधिकरण की संचालित योजनाओं के अन्तर्गत व्यावसायिक सम्पत्तियों के भुगतान एवं कब्जा स्थानान्तरण की प्रक्रिया को सरलीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की संचालित योजनाओं के अन्तर्गत व्यावसायिक सम्पत्तियों के भुगतान एवं कब्जा स्थानान्तरण की प्रक्रिया को सरलीकृत किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि:-

1. ₹0 50 लाख तक की व्यावसायिक सम्पत्तियों में वर्तमान







प्रचलित व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाय।

2. ₹ 50 लाख से ऊपर ₹ 2 करोड़ तक की व्यावसायिक सम्पत्तियों में 50 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर कब्जा प्रदान करते हुए शेष धनराशि 10 त्रैमासिक किश्तों में नियमानुसार ब्याज सहित जमा कराई जाय।
3. ₹ 2 करोड़ से अधिक की व्यावसायिक सम्पत्तियों में 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराकर कब्जा प्रदान करते हुए शेष धनराशि 20 त्रैमासिक किश्तों में नियमानुसार ब्याज सहित जमा कराई जाय।

विषय संख्या : 34

कानपुर रोड योजना से0-डी-1 में दर्शित अग्निशमन केन्द्र/पुलिस चौकी से विद्युत सब-स्टेशन तथा सेक्टर-एफ में प्रस्तावित 5366.73 वर्गमी0 उपयोग की भूमि को अग्निशमन केन्द्र में परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 35

मे0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप सुशान्त गोल्फ सिटी के पूर्व स्वीकृत ले-आउट में सेक्टर-ए, सेक्टर-जी में आंशिक संशोधन एवं सेक्टर-बी में प्रस्तावित तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त मे0 अंसल की हाईटेक सिटी के अन्तर्गत सेक्टर-जी तथा सेक्टर-ए के अन्तर्गत प्रस्तावित आंशिक संशोधन तथा सेक्टर-बी 24.25 हे0 भूमि पर प्रस्तावित व्यावसायिक उपयोग के तलपट मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के बिन्दु संख्या-1 व 2 को अनुमोदित किया गया एवं बिन्दु संख्या-3 पर 05 प्रतिशत भूमि पर पार्किंग सहित अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 36

मे0 रितन्द बलवेद एजुकेशन फाउन्डेशन (एमिटी, मल्हौर कैम्पस हेतु) की ग्राम-निजामपुर मल्हौर, जनपद-लखनऊ में स्थित लगभग 30.14 एकड़ (12.1972 हे0) भूमि के भू-उपयोग को "आवासीय" से "सामुदायिक सुविधाएँ, उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ"

#

(शैक्षणिक) में परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 37

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत 19 मृतक आश्रित संविदा कर्मचारियों को वेतनमान का न्यूनतम वेतनमान दिये जाने/ विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : 38

आई0डी0 सिंह मेमोरियल डेन्टल कॉलेज द्वारा खसरा संख्या-201, 204, 205, 218, 219, 220, 221, 222 एवं 223 का भू-उपयोग "आवासीय" से "सामुदायिक सुविधायें" उपयोगितायें एवं सेवायें (डेन्टल कॉलेज) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : 39

गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत लम्बित 61 परिसम्पत्तियों के मूल्यांकित धनराशि का भुगतान एवं विस्थापित कोटे में निःशुल्क भूखण्ड आवंटन करने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 40

उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास नीति (पुनरीक्षित इंटिग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014) के अन्तर्गत मे0 आरिन्दम शेखर गारमेन्ट्स मार्केटिंग प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 (200.00 एकड़) दिनांक 02.11.2015 को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त मे0 आरिन्दम शेखर गारमेन्ट्स मार्केटिंग प्रा0लि0 के द्वारा 200 एकड़ पर प्रेषित इंटिग्रेटेड टाउनशिप के डी0पी0आर0 पर गठित समिति द्वारा परीक्षण के अन्तर्गत दिये गये सुझावों को यथा-सम्मिलित/संशोधित करने के उपरान्त डी0पी0आर0 की स्वीकृति एवं कतिपय प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुपालन विषयक प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान







किया गया कि विकासकर्ता को शासन की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा एवं जो अनार्जित भूमि है, उसे अधिगृहीत करने की कार्यवाही समयबद्ध रूप से 02 वर्ष में पूर्ण करनी होगी।

विषय संख्या : 41

भूखण्ड संख्या-2/86, विजय खण्ड, गोमती नगर एवं 2/19, विपुल खण्ड, गोमती नगर स्थित भवन/भूखण्ड के उपयोग भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव में सम्मिलित दोनों प्रकरणों में विषय संख्या-7 के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुरूप कार्यवाही की जाये।


विषय संख्या : 42


नबीबुल्लाह रोड, बासमण्डी व्यवसायियों को सीतापुर रोड तथा रेलवे लाइन के मध्य स्थित भूमि के तलपट मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय :


प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।


(श्रीश चन्द्र वर्मा)
सचिव


(सत्येन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित


(महेश कुमार गुप्ता)

अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।